

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक: 07 / 2015

संस्थित दिनांक-14.11.2007

फाईलिंग नंबर-230303001362007

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा,

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रु द्ध

1. प्रदीपसिंह पुत्र सेवाराम ब्राह्मण उम्र 30 साल
निवासी त्यागीनगर मुरार ग्वालियर म0प्र0 -----उपस्थित आरोपी
2. नरेशसिंह पुत्र औतारसिंह गुर्जर उम्र 32 साल
निवासी डगौरा पीएस हस्तिनापुर ग्वालियर
3. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र बाबूसिंह चौहान उम्र 36 साल
निवासी जे0सी0 मिल ग्वालियर म0प्र0 -----फरार आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपी प्रदीप द्वारा श्री मुंशी सिंह यादव अधिवक्ता

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 09 अक्टूबर-2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त प्रदीप के विरुद्ध धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 03.10.07 को 18.15 बजे गोहद चौराहा पिपाहड़ी रोड़ थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड में जो कि एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के तहत प्रभावित क्षेत्र है, अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 315 बोर का कट्टा एवं एक कारतूस रखे पाया गया।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रकरण में आरोपीगण धर्मेन्द्र व नरेश फरार घोषित है। उनके विरुद्ध धारा-299 दप्रसं के अंतर्गत फरारी कार्यवाही की गई है इसलिये इस निर्णय के द्वारा आरोपी प्रदीप का ही निराकरण किया जा रहा है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि थाना प्रभारी गोहद चौराहा आशीष सिंह पंवार को दिनांक 3.10.07 को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई जिसे उसने रोजनामाचासान्हा क्रमांक-93/03.10.07 पर दर्ज किया। मुखबिर की सूचना पर से रवानगी रोजनामचासान्हा क्रमांक-94/03.10.07 पर दर्ज कर वह मय पुलिस फोर्स एसएसआई बी0एल0 बंसल, प्र0आर0 कल्याण शुक्ला, हरनाथसिंह, आरक्षक मनोज शुक्ला, पुरुषोत्तम,

विनोद, रामनिवास एवं आरक्षक चालक भारतेन्दु के रवाना होकर पिपाहड़ी रोड रेल्वे क्रॉसिंग पर पहुंचकर रोड पर चौक किया तो एक सिल्वर कलर की पल्सर मोटरसाईकिल नंबर-एम0पी0-07 एमबी-4003 पर तीन बदमाश आते दिखे जिनको रोका तो वह नहीं रुके तथा उनका पीछा मोटरसाईकिलों से किया तो गोहद चौराहा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी जिससे तीनों बदमाश टकराकर गिरे। उनको चोटें आईं। उनका पीछा कर रहे आरक्षक मनोज शुक्ला व आरक्षक चालक भारतेन्दु बदमाशों की मोटरसाईकिल से टकरा कर गिरे जिससे दोनों आरक्षकों को भी चोटें आईं। उक्त बदमाशों को पकड़कर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम प्रदीप पुत्र सेवाराम ब्रा0 उम्र 22 साल निवासी त्यागी नगर मुरार, नरेशसिंह पुत्र औतारसिंह गुर्जर उम्र 23 साल निवासी डगैरा पीएस हस्तिनापुर, धर्मेन्द्र पुत्र बाबूसिंह चौहान उम्र 27 साल निवासी जे0सी0 मिल ग्वालियर का बताया। तीन की तलाशी ली गई तो तीनों पर एक एक कट्टा 315 बोर के व एक जिन्दा कारतूस मिले। उक्त कट्टा रखने बाबत लायसेन्स चाहा तो नहीं होना बताया। अतः आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा-25/27 आयुध अधिनियम एवं 11/12 डकैती अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय पाया जाने से उन्हें साक्षीगण केशवसिंह व भगवती प्रसाद के समक्ष गिरफ्तार किया। व जप्तशुदा आयुधों को थाने लाये।

4. थाना गोहद चौराहा पर वापिस आकर आरोपीगण के विरुद्ध अप0क्र0-167/07 धारा-25/27 आयुध अधिनियम एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त प्रदीप के विरुद्ध धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त प्रदीप ने झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपी प्रदीप की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- अ- क्या दिनांक 30.10.07 को 18.15 बजे राजस्व जिला भिण्ड में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट प्रभावशील था?
- ब- क्या आरोपी प्रदीप ने दिनांक 03.10.07 को 18.15 बजे गोहद चौराहा पिपाहड़ी रोड थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 315 बोर का कट्टा एवं एक कारतूस रखे पाया गया।

-:-निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक- अ, एवं ब का निराकरण

7. उक्त दोनों विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए उनका एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।

8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में मनोज शुक्ला (अ0सा0 1), सुरेश दुबे (अ0सा0 2), केशवसिंह (अ0सा0 3), भगवती प्रसाद (अ0सा0 4), कल्याण शुक्ला (अ0सा0 5), अजीम खॉ (अ0सा0 6), आशीष पंवार (अ0सा0 7) कथन कराया गया है तथा आरोपी की ओर से

अपने बचाव में किसी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी. -1 लगायत-प्रदर्श पी.-09 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं।

नोट:- प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रदर्शित उक्त दस्तावेजों में से आरोपी प्रदीप से संबंधित दस्तावेज प्र0पी0-1, 2, 4, 6 व 9 महत्वपूर्ण हैं जिनका विश्लेषण में मूल्यांकन किया जा रहा है।

9. अभियोजन कथानक मुताबिक पुलिस को मुखबिर से थाने पर प्राप्त हुई सूचना को रोजनामचासांन्हा क्रमांक-93 दिनांक 03.10.07 पर दर्ज कर सूचना की तशदीक हेतु रोजनामचा क्रमांक-94 दिनांक 03.10.07 से तत्कालीन थाना प्रभारी आशीष पंवार, एसआई बी0एल0 बंसल, प्र0आर0 कल्याण शुक्ला, आरक्षक हरनाथ, मनोज शुक्ला, पुरुषोत्तम, विनोद, रामनिवास और आरक्षक चालक भारतेन्दु को हमराह पुलिस बल में साथ ले जाकर पिपाहड़ी रोड रेल्वे क्रॉसिंग पर चैक करने पर आरोपी प्रदीप जो कि पल्सर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07 एम0बी0 4003 को चला रहा था और उस पर प्रदीप सहित तीन लोग थे जिन्हें रोककर चैक करने पर वह नहीं रुके और मोटरसाईकिल तेजी से भगा दी जिनका पीछा किया तो आगे चलकर आरोपी की मोटरसाईकिल गोहद चौराहा के पास खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई जिससे उन्हें चोटें आईं। और आरक्षक मनोज शुक्ला व भारतेन्दु की मोटरसाईकिल भी उनसे टकरा गई थी जिससे उन्हें भी चोटें आई थीं। पकड़े गये आरोपियों की तलाशी लेने पर आरोपी प्रदीप क पास मोटरसाईकिल के अलावा कमर में 315 बोर का एक देशी कट्टा मय एक जीवित कारतूस के बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाये जाने पर उसे गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है। मौके की कार्यवाही जनता के व्यक्ति केशवसिंह और भगवतीप्रसाद के समक्ष करना बताई गई है। ऐसे में पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के अलावा केशवसिंह और भगवतीप्रसाद घटना के महत्वपूर्ण साक्षी हो जाते हैं जिन्हें अभियोजन की ओर से परीक्षित भी कराया गया है।

10. परीक्षित साक्षियों में से मौके की कार्यवाही के स्वतंत्र व पंच साक्षी केशवसिंह अ0सा0-3 और भगवतीप्रसाद अ0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है और वे पक्ष विरोधी हुए हैं जिनसे पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी घटना के संबंध में व आरोपी प्रदीप के विरुद्ध कोई भी तथ्य नहीं आये हैं। दोनों ही साक्षियों ने प्र0पी0-2 लगायत 5 के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर मात्र स्वीकार किये हैं। किन्तु इस बात से इन्कार किया है कि उनके सामने आरोपी प्रदीप को पुलिस ने पकड़ा था। और प्रदीप के कब्जे से 315 बोर का एक जीवित कारतूस व सिल्वर रंग की पल्सर मोटरसाईकिल जप्त की गई थी बल्कि केशवसिंह ने मोबाईल खो जाने की रिपोर्ट के लिये थाना गोहद चौराहा पर जाने पर दरोगाजी द्वारा पांच छः कागजों पर हस्ताक्षर करा लेना बताया और भगवती के भी उसके सामने हस्ताक्षर करा लेना बताया है जिसका खण्डन नहीं है। तथा भगवतीप्रसाद अ0सा0-4 ने भी थाने पर पुलिस द्वारा हस्ताक्षर करा लेना कहा है जब वह किसी काम से थाने गया था। इस प्रकार से दोनों पंच साक्षियों के द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है। ऐसे में शेष साक्षी जो कि शासकीय सेवक होकर पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं और आर्म्स क्लर्क भी शासकीय सेवक हैं उनका ही अभिसाक्ष्य शेष है इसलिये उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक व उचित होगा।

11. मौके की कार्यवाही तत्कालीन थाना प्रभारी वर्तमान निरीक्षक आशीष पंवार अ0सा0-8 के द्वारा किया जाना बताया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 03.10.07 को थाना गोहदचौराहा पर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर उसके आधार पर पुलिस बल के साथ पिपाहड़ी रोड पर जाना और वहाँ एक सिल्वर रंग की पल्सर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07-4003 पर तीन लड़कों के आने से उन्हें रोककर चैक करने का प्रयास करना बताया है जो पुलिस को देखकर भागे थे और गोहद चौराहा के पास

खड़ी मोटरसाईकिल से टकरा गये थे। उनका पीछा करने पर आरक्षक मनोज शुक्ला व आरक्षक भारतेन्दु जो चालक भी था वह भी टकरा गये थे और उन्हें चोटें आई थीं। पल्सर सवार तीनों आरोपियों को पकड़कर उनके नाम पते पूछे तो उन्होंने अपने नाम व पते बताये थे। जिनके कब्जे से एक एक 315 बोर का देशी कट्टा व एक एक कारतूस भी मिले थे जिन्हें साक्षी केशवसिंह और भगवतीप्रसाद के समक्ष उसने जप्त किया था। प्रदीप से प्र0पी0-4 का जप्ती पत्रक तैयार कर पल्सर मोटरसाईकिल व कट्टा कारतूस जप्त करना और प्र0पी0-2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तारी करना तथा मौके की कार्यवाही उपरांत थाने आकर प्र0पी0-9 की एफआईआर लेखबद्ध करना उसने बताया है। जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही मौके पर करना तथा लिखापढी के समय वह उजाला भी होना कहता है। थाने पर लिखापढी करने से इन्कार करते हुए एफआईआर के कॉलम नंबर-3 में रोजनामचासान्हा का इन्द्राज न होना वह स्वीकार करता है। यह भी स्वीकार किया है कि रोजनामचा की प्रति प्रकरण में पेश नहीं की गई है और प्र0पी0-9 में अपराध क्रमांक अंकित न होना व कॉलम नंबर-9 में ओव्हर राईटिंग होना वह कहता है किन्तु उस पर लघु हस्ताक्षर भी होना बताता है। जप्ती पत्रक पर सील नमूना न होना भी उसने स्वीकार किया है।

12. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः इस बात पर बल दिया है कि प्रकरण में मुखबिर की सूचना तथा रवानगी का रोजनामचासान्हा, वापिसी का रोजनामचासान्हा पेश नहीं किया गया है। जप्ती की कार्यवाही मौके पर की जाना बतायी गई है। किन्तु जप्ती पत्र प्र0पी0-4 पर कोई सील नमूना नहीं है। तथा मौके पर सीलड किये जाने का भी उल्लेख नहीं है। पंच साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। इसलिये मौके की कार्यवाही दूषित है। और आरोपी दोषमुक्ति का पात्र है जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि पुलिस के साक्षियों की साक्ष्य पर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वे शासकीय सेवक या पुलिस कर्मी होकर हितबद्ध साक्षी हैं क्योंकि आरोपी की ओर से रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है और कोई रंजिश नहीं बताई गई है इसलिये अभियोजन के साक्षी विश्वसनीय माने जावें और दोषसिद्धि की जावे।

13. प्रकरण में मौके की कार्यवाही करने वाले आशीष पंवार अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करने के पूर्व हमराह पुलिस बल में गये पुलिस कर्मियों में से केवल आरक्षक मनोज शुक्ला और प्र0आर0 कल्याण शुक्ला को ही परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं हुए हैं। इसलिये उनके अभिसाक्ष्य को भी साथ ही देखना उचित होगा। प्र0आर0 कल्याण शुक्ला अ0सा0-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में एफआईआर पश्चात केवल साक्षियों के विवेचना में कथन लेना बताया है जिनमें वह भगवतीप्रसाद, केशवसिंह, मनोज शुक्ला व भारतेन्दु के कथन लेना बताता है जिनमें से केशवसिंह और भगवतीप्रसाद ने तो लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। भारतेन्दु को परीक्षित नहीं कराया गया है। केवल मनोज शुक्ला अ0सा0-1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिसके अभिसाक्ष्य को साथ ही मूल्यांकित करना आवश्यक है।

14. आरक्षक मनोज शुक्ला अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 03.10.07 को थाना गोहद चौराहा में पदस्थ रहते हुए थाना प्रभारी आशीष सिंह पंवार के साथ तेहरा रोड रेल्वे कॉसिंग पर साथ में जाना बताया है और यह कहा है कि मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि तीन लड़के पल्सर मोटरसाईकिल पर आपराधिक प्रवृत्ति के आ रहे हैं जिनकी चैकिंग के लिये गये थे और मोटरसाईकिल से गये थे। उसके साथ भारतेन्दु था। उसने यह भी बताया है कि इन्सॉस रायफल और 20 कारतूस लिये थे। अन्य पुलिस बल में कौन व्यक्ति कौनसा शस्त्र व कितना एम्पुनिशन लिये था, यह उसे पता नहीं है। साक्षी के कथन में ग्राम तेहरा रोड़ को एक स्थान पर देहरा रोड़, एक स्थान पर तिघरा रोड़ लिखा गया है जिसे तेहरा रोड़ के रूप में ही निष्कर्ष में लिया जा रहा है।

15. अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कहा है कि तेहरा रोड़ पर रेल्वे क्रॉसिंग पर जब वह पहुंचे तो एक पल्सर मोटरसाईकिल पर तीन लड़के आते दिखे थे जिन्हें रोकने का प्रयास किया था तो आरोपीगण ने मोटरसाईकिल की रफ्तार तेज कर दी थी। उन्होंने अपनी मोटरसाईकिल से पीछा किया था वह मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-30 बी0ए0-7222 लिखा था तथा जैसे ही गोहद चौराहे पर पहुंचे थे तो खड़ी हुई ट्रॉली से तीनों बदमाश टकराकर गिर गये थे और पल्सर मोटरसाईकिल पर बैठे हुए थे जिनसे उन्हें चोटें लगी थीं। उसकी मोटरसाईकिल भी टकरा गई थी जिससे उसे भी कंधे में चोट आकर फ्रेक्चर हो गया था। फिर तीनों को पकड़ा गया था। नाम पता पूछा गया तब तलाशी में प्रदीप पर एक 315 बोर का कट्टा व एक राउण्ड मिला था। पकड़े गये तीनों बदमाशों और उनकी चोटों का मेडिकल हुआ था जिसमें भारतेन्दु को भी चोटें लगी थीं। उसे यह जानकारी नहीं है कि वे किस रोजनामचासान्हा पर रवानगी डालकर आये थे। यह वह दरोगा जी का पता होना बताता है। साथ में एएसआई बी0एल0बंसल, प्र0आर0 कल्यान शुक्ला, आरक्षक रामनिवास का होना भी बताता है। पुलिस को दिये गये पुलिस कथन प्र0डी0-1 में अपनी मोटरसाईकिल का क्रमांक और लिये गये शस्त्र के बारे में जानकारी देना बताते हुए यह भी बता देना कहता है कि अभियुक्त की मोटरसाईकिल से उनकी मोटरसाईकिल टकरा गई थी। जबकि प्र0डी0-1 में इन तथ्यों का उल्लेख नहीं है और इसका कोई भी स्पष्टीकरण कथन लेने वाले प्र0आर0 कल्यान शुक्ला अ0सा0-5 ने नहीं दिया है।

16. अ0सा0-1 के मुताबिक मौके पर जहाँ घटना होना बताई गई है, वह चालू रोड़ होना, लोगों का आवागमन होना बताते हुए पैरा-5 में यह भी कहता है कि रोड़ पर अन्य लोग आ जा रहे थे। लेकिन आरोपियों को पकड़ने में किसी ने सहयोग नहीं किया था न किसी को बुलाया गया था। ऐसे में अ0सा0-3 व 4 का यह कहना कि उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई और हस्ताक्षर थाने पर करा लिये गये, उसे उक्त आरक्षक के पैरा-5 में आये तथ्यों से बल मिलता है जो घटना को आरोपी प्रदीप के संबंध में संदिग्ध बनाता है। उक्त आरक्षक के मुताबिक प्रदीप को वह पहले से नहीं जानता था तथा मौके की कार्यवाही में वह किसी दस्तावेज का साक्षी भी नहीं है। उसका न्यायालयीन अभिसाक्ष्य और पुलिस कथन में भी विरोधाभास की स्थिति है। अ0सा0-1 अपने साथ मोटरसाईकिल पर आरक्षक भारतेन्दु सिंह का साथ में जाना बताता है जो आरोपी की मोटरसाईकिल से टकरा गये थे। जबकि भारतेन्दु आरक्षक चालक था और अ0सा0-1 के मुताबिक पीछे से दरोगा जी गाड़ी से आये थे। उसका ऐसा कहना नहीं रहा है कि गाड़ी भारतेन्दु के अलावा किसी अन्य ने चलाई तथा भारतेन्दु परीक्षित नहीं है जो अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकता था। ऐसे में अ0सा0-1 का अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है और न ही उससे प्र0पी0-2 व 4 के दस्तावेजों की कोई पुष्टि होना नहीं मानी जा सकती है तथा कल्यान शुक्ला की साक्ष्य औपचारिक स्वरूप की थी और उससे भी पुलिस कथानक को कोई बल नहीं मिलता है। ऐसे में मौके की कार्यवाही करने वाला तत्कालीन थाना प्रभारी आशीष सिंह पंवार अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। न ही उसके द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य के दौरान मुखबिर की सूचना पर दर्ज रोजनामचासान्हा, रवानगी का रोजनामचासान्हा एवं वापिसी का रोजनामचासान्हा पेश किया गया है जो उनकी मौके पर की गई कार्यवाही में सहायक होता।

17. प्र0पी0-9 की एफआईआर जो कि अ0सा0-8 के द्वारा ही लेखबद्ध की गई उसके भी कॉलम नंबर-3 अ में रोजनामचा सान्हा का उल्लेख किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। इससे भी अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य के आधार पर प्र0पी0-4 व 2 के जप्ती पत्रक और गिरफ्तारी पत्रक को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और न ही प्र0पी0-9 की एफआईआर को विचाराधीन आरोपी के संदर्भ में प्रमाणित माना जा सकता है। ऐसे में मौके की

कार्यवाही बाबत कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जिससे सर्वप्रथम तो आरोपी प्रदीप को प्र०पी०-9 की एफआईआर मुताबिक बताई गई घटना दिनांक 03.10.07 को शाम करीब 6.15 बजे पिपाहड़ी रोड़ रेलवे क्रॉसिंग पर चैकिंग करने पर पुलिस को देखकर उसका मोटरसाईकिल की रफ्तार तेज कर भागना, आगे जाकर किसी ट्रॉली से टकरा जाना और पकड़ा जाना और कट्टा कारतूस बरामद होना संदिग्ध है। इस तरह की घटना में जहाँ कि चैकिंग वाले स्थान से अपराधी भागा और आगे जाकर किसी खड़े वाहन अर्थात् ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया था तो ऐसे में जिस स्थान से आरोपी को पकड़ा गया और तलाशी लेने पर अवैध आग्नेय शस्त्र बरामद हुआ। उसका नजरीय नक्शा भी बनाया जाना आवश्यक था जिसका भी प्रकरण में सर्वथा अभाव है। इसलिये एफआईआर प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। और इस संबंध में न्याय दृष्टांत एस०एम०दुबे विरुद्ध एन०एन०बी० भोर 2000 वोल्यूम फर्स्ट सी०सी०आर०जे० पेज-178 के पैरा-25 में यह मार्गदर्शित किया गया है कि जहाँ पंच साक्षियों से जप्ती का समर्थन न हो वहाँ घटना संदिग्ध होगी।

18. अन्य परीक्षित साक्षियों में से आरक्षक आर्म्स मुहर्रिर सुरेश दुबे अ०सा०-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि दिनांक 18.10.07 को जब वह पुलिस लाईन भिण्ड में पदस्थ था तब उसे थाना गोहद चौराहा के अप०क्र०-167/07 धारा-25/27 आयुध अधिनियम एवं धारा-11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट में जप्तशुदा तीन कट्टे व तीन जिन्दा कारतूस जांच हेतु प्राप्त हुए थे जिनको उसने जांच किया था। जांच के दौरान जो कट्टा नंबर-1 के रूप में प्राप्त हुआ था वह 315 बोर का देशी कट्टा होकर चालू हालत में पाया था। क्रमांक-2 व 3 पर जो कट्टा जांच हेतु भेजे गये थे वे अनुपयोगी होकर फायर योग्य नहीं थे। तीनों कट्टे अलग-अलग कपड़े में सीलबंद जांच हेतु आरक्षक मेहताबसिंह थाना गोहद चौराहा द्वारा जमा किये गये थे जो उसकी जांच उपरान्त पुनः शास्त्रागार में जमा किये गये थे और उसने प्र०पी०-1 की जांच रिपोर्ट तैयार की थी। जो कट्टा उसने जांच किये थे उनमें कौनसा कट्टा किस नंबर का, किस आरोपी से जप्त हुआ था, यह वह नहीं बता सकता है। जांच हेतु जो कारतूस मिले थे वह कितने कितने एम०एम० के थे ऐसा उसने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया है। कट्टों की नाप इंच में नहीं की थी, अंगुल में की थी। कट्टा उसे सीलबंद अवस्था में मिले थे। इस तरह से उक्त साक्षी के मुताबिक तीन कट्टों में से केवल एक ही देशी कट्टा चालू हालत में पाया गया है। लेकिन अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण या दस्तावेज नहीं है कि जो कट्टा चालू हालत में पाया गया है वह किस आरोपी से जप्त हुआ था न ही ऐसा कोई प्रतिवेदन प्रकरण में पेश है कि कट्टा क्रमांक-1 के रूप में किस आरोपी से बरामद कट्टा जांच को भेजा गया और इस संबंध में थाना प्रभारी आशीष पंवार अ०सा०-8 ने भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जप्ती पत्रक में भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि आरोपी प्रदीप से बरामद बताया गया कट्टा ही चालू हालत वाला कट्टा था। ऐसे में प्र०पी०-1 की जांच रिपोर्ट भी संदेह उत्पन्न करती है और उससे अभियोजन कथानक के प्रमाणन में कोई सहायता नहीं मिलती है बल्कि स्थिति भ्रमपूर्ण होने से अभियोजन का कथानक ही गंभीर संदेह के घेरे में आ जाता है।

19. अन्य परीक्षित साक्षी अजीमखॉ अ०सा०-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 23.10.07 को डी०एम० कार्यालय भिण्ड आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के पत्र क्रमांक-842/07 धारा-25/27 आयुध अधिनियम दिनांकित 10.10.07 के साथ थाना गोहद चौराहा के अप०क्र०-167/07 की केसडायरी तथा जप्त शस्त्र अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त होने पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री सुहैल अली के द्वारा अभिलेख एवं हथियारों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन चलाने की प्र०पी०-6 की स्वीकृति प्रदान करना बताया है और यह कहा है कि जो कट्टा आये थे वे सीलबंद अवस्था में थे जिसे खोला गया था। 6-7 सीलें लगी थीं लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि किस दिनांक

की सील लगीं थीं और किस किस जगह लगीं थीं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0-6 की अभियोजन स्वीकृति पर उसके लघु हस्ताक्षर नहीं हैं। इस बात से इन्कार किया है कि शस्त्रों का कोई अवलोकन किये वगैर ही अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

20. इस तरह से अ0सा0-6 के मुताबिक प्र0पी0-6 की अभियोजन स्वीकृति पर उसके कोई लघु हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके अलावा प्र0पी0-1 की जो शस्त्रों की जांच रिपोर्ट पेश हुई है उसमें केवल एक कट्टा चालू हालत में पाया गया। शेष दो कट्टे चालू हालत में नहीं पाये गये हैं। इसलिये बचाव पक्ष का यह तर्क कि अभियोजन स्वीकृति दिये जाने में न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है, उसे इस आधार पर बल मिलता है कि जो प्र0पी0-6 की अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है वह सभी आरोपियों के विरुद्ध एक समान रूपसे दे दी गई। जबकि शस्त्रों की जांच रिपोर्ट प्र0पी0-1 दिनांक 18.10.07 की जारी की गई है और अभियोजन स्वीकृति उसके पांच दिन बाद अर्थात् 23.10.07 को प्रदान की गई थी। इससे यही उपधारित होता है कि जांच रिपोर्ट पहले प्राप्त हुई जिसे अभियोजन स्वीकृति के संदर्भ में नहीं देखा गया। और प्रकरण में यह हास्यास्पद स्थिति है कि तीन देशी कट्टों में से केवल एक चालू पाया लेकिन वह कौनसा देशी कट्टा था और किससे बरामद हुआ, अभियोजन यही स्पष्ट नहीं कर पाया गया है। ऐसे में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व इस संबंध में क्वेरी की जाना आवश्यक थी जिससे यही परिलक्षित होता है कि प्र0पी0-6 की अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवश्यक सावधानी के नियम का पालन करते हुए न्यायिक विवेक का उपयोग कर धारा-39 आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत विधि अनुसार अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। यह भी अभियोजन के मामले को संदिग्ध बनाता है।

21. इस तरह से अभिलेख पर कोई भी ऐसी सुदृढ़ या विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जो विचाराधीन आरोपी को आरोपी प्रदीप के संबंध में युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करता हो। फलतः आरोपी प्रदीप को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपी प्रदीप पुत्र सेवाराम ब्राह्मण को धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

22. आरोपी प्रदीप के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

23. प्रकरण में शेष आरोपीगण अभी फरार हैं और जप्तशुदा हथियारों के बारे में भी भ्रमपूर्ण स्थिति है इसलिये संपत्ति के संबंध में कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है जिसका निराकरण शेष अभियुक्तों के विचारण उपरांत किया जा सकेगा।

24. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: **09.10.15**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड